



# N.V. ENGLISH ACADEMY

Phone-8407011118

LAHERIASARAI, DARBHANGA  
(Affiliated to CBSE, New Delhi)

A unit of Dr. Yadubir Sinha Memorial Trust

email:- [nvenglishacademy@gmail.com](mailto:nvenglishacademy@gmail.com)

School No.65784

Affiliation No.330781

Ref.No. F-23/NVEA/21-22/42

Date: 18.07.2021

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान

बिहार शिक्षा परियोजना, दरभंगा।

विषय: बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा -18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अंतर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र के नवीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ: भवदीय पत्रांक 838 दिनांक 06/07/2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कृपया भवदीय पत्रांक 838 दिनांक 06/07/2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें। निवेदन है कि उक्त पत्र के द्वारा हमारे विद्यालय को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक संचालन हेतु दिनांक 01/04/2017 से तीन साल के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति बिहित शर्तों पर प्रदान की गयी थी।

विदित हो कि भवदीय पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों का हमने अक्षरशः अनुपालन किया है एवं विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों के अनुसार हमारे विद्यालय में सभी सुविधाएं उपलब्ध है।


अस्तु निवेदन है कि हमारे विद्यालय के उपरोक्त प्रस्वीकृति (संख्या 161/17) को नवीकरण करते हुए स्थायी प्रस्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

श्रीमान के इस कृपा के लिए विद्यालय परिवार सदा आभारी रहेगा।

सधन्यवाद,

भवदीय,

संलग्नक: पत्रांक 838 दिनांक 06/07/2017 की छाया प्रति

  
( डा. अमर नाथ मिश्र )

प्राचार्य

**PRINCIPAL**  
**N.V. ENGLISH ACADEMY**  
**LAHERIASARAI, DARBHANGA**

o/c

# बिहार शिक्षा परियोजना

शिक्षा भवन, करमगंज,  
दरभंगा-846001



# Bihar Education Project

Shiksha Bhawan, Karamganj,  
Darbhanga-846001

पत्रांक ..... २३८.....

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
प्रारम्भिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान,  
बिहार शिक्षा परियोजना, दरभंगा।

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

**एन० सी० इंग्लिश एकेडमी**

दरभंगा, दिनांक ..... ०६/०७/ 2017 ई० ।

विषय: बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा-18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अंतर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन-पत्र एवं विद्यालय निरीक्षण प्रपत्र के आधार पर दिनांक 08.06.2017 को प्रस्वीकृति समिति के बैठक में निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय


**एन० सी० इंग्लिश एकेडमी दरभंगा**

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) कक्षा-1 से कक्षा-8 संचालन हेतु पत्र 07.04.17 से तीन वर्षों के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :-

प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा-8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगा।

- विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
- विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा। अलाभकारी समूह के बच्चे से अभिप्राय है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक बच्चे एवं कमजोर वर्ग के बच्चों से तात्पर्य यह है कि सामान्य समूह के बच्चे (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक को छोड़कर), जिनके माता-पिता के वार्षिक आय 2 लाख रु० से कम है।
- कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्राप्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
- सासाइटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैंपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।



फोन एवं फैक्स - 06272-254056

# बिहार शिक्षा परियोजना


शिक्षा भवन, करमगंज,  
दरभंगा-846001



# Bihar Education Project

Shiksha Bhawan, Karamganj,  
Darbhanga-846001

- विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेंगे :-
- (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
  - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
  - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चे को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।
  - (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
  - (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
  - (viii) शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
- विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवर्षा का अनुसरण करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंड के अनुसार विद्यालय में निम्न सुविधाओं का रहना अनिवार्य है :-
- विद्यालय का अपना परिसर
  - वर्गकक्षों की संख्या : 30 छात्र पर एक वर्ग कक्ष
  - प्रधानाधपक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष
  - बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय
  - पेयजल की सुविधा
  - मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर
  - बाधारहित पहुंच
  - शिक्षण अधिगम सामग्री, खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय



फोन एवं फैक्स - 06272-254056



11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या ...161/17 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाय।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करवाई जायेंगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।
19. यह प्रस्वीकृति अस्थायी है। तीन वर्ष के अंदर आपके द्वारा अधिनियम की शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो प्रस्वीकृति का नवीकरण नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
प्रारम्भिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान,  
बिहार शिक्षा परियोजना, दरभंगा।